3-2-20	पत्रावली पेश हुई प्रार्थी 10 [illegible] से कोई पत्रावली पर्चे बहस उपस्थित हुए दिनांक 19.2.20 को पेश हो। [illegible]
19.02.20	पत्रावली प्रस्तुत हुई। वकुलाय उपस्थित हो। बहस समाप्त की गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने निवेदन किया की मनजी हमारे पिता है। भूमि पूर्व में खसरा गिरदावरी मे हमारे दादा-परदादा के नाम से अंकित थी। स्पष्ट है कि भूमि हमारी थी। अतः खं.नं. 722 की भूमि कालान्तर मे बिना कोई नामान्तकरण अथवा आदेश के विपक्षी के नाम जमाबन्दी में अंकन कर दी गई। कारम विपक्षी ने भूमि बेच भी दी। जबकि मौके पर कब्जा आज भी हमारा है। अतः विपक्षीयों को अग्रिम कार्यवाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे की वे हमारी कब्जे काश्त में कोई दखल न दे। प्रतिवादी अधिवक्ता ने कथन किया की भूमि जमाबन्दी मे कभी भी इनके नाम से दर्ज रिकार्ड नहीं रही है भूमि जमाबन्दी में हमारे ही पूर्वजों के नाम रही है। दत्तक पुत्र के रजिस्टर्ड दस्तावेज से भूमि विपक्षी के नाम आई तथा तत्पश्चात उक्त भूमि को प्रतिवादी सं. 1 विश्वेश्वरी को 26 फरवरी 15 को बिक्रय किया। भूमि प्रारम्भ से हमारी खातेदारी रही है तथा वर्तमान भी एकदम सही है क्योंकि हम खातेदार काश्तकार है। अतः हमारे विरूद्ध कोई अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। कब्जा हमारा है अतः प्रार्थी का उक्त प्रार्थनापत्र खारिज किया जावे।
	मैंने पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थना पत्र,

सन्

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
प्रार्थना पत्र के जवाब, प्रार्थी व अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत विभिन्न दस्तावेजों, बहस में प्रस्तुत कथनों, व प्रस्तुत नजीरों का अवलोकन व मनन किया। प्रतिवादी रिकार्डेड खातेदार है तथा पूर्व में भी खातेदार रहा है, प्रतिवादी जमाबन्दी में खातेदार के रूप में अंकित है, प्रार्थी खसरा गिरदावरी के अपने नाम का साक्ष्य होने से प्रार्थना पत्र लाए है। प्रार्थना पत्र में उपलब्ध दलीलो व दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थना पत्र पोषित नहीं पाए जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली में निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नबर से कम की जावे।	